

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(पी-01)/2018/  
दिनांक:-

आदेश

श्रीमती प्रमिला कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-91, 93(1) तथा 93 (3) के तहत निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 01.08.2016 से 07.08.2016 तक 07 दिवस का परिवर्तित अवकाश।
2. दिनांक 08.08.2016 से 12.08.2016 तक 05 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 08.09.2016 से 08.10.2016 तक 31 दिवस का परिवर्तित अवकाश।
4. दिनांक 09.10.2016 से 05.02.2017 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।
5. दिनांक 06.02.2017 से 20.02.2017 तक 15 दिवस का अदेय अवकाश।
6. दिनांक 13.08.2016 से 15.08.2016 तक 03 दिवस राजपत्रित अवकाश के उपभोग की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

नोट:-कार्मिका को स्वीकृत अदेय अवकाश उसके अर्द्धवेतन अवकाश खाते में नामे (डेबिट) लिखा जायेगा तथा उसका समायोजन कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किये जाने वाले अर्द्धवेतन अवकाशों से किया जायेगा।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 30/8/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(पी-01)/2018/ 1097

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर